'रियलिटी-शो' के संबंध में दिशा-निर्देश

*218. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल 'रियलिटी-शो' जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'रियलिटी-शो' का सीधा असर देश के मध्यम वर्ग की कार्य-शैली पर पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार 'रियलिटी-शो' के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) ऐसे किसी तथ्य की जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं लायी गयी है। तथापि, निजी सैटेलाइट टी.वी. चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषय-वस्तु को केबल टेलीजिवन नेटवर्क नियम, 1994 और केबल टेलीविजयन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में अंतर्विष्ट कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। उक्त नियमों में रियलिटी शोज़ सहित टी.वी. चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों के विनियमन के लिए पूरे मानदण्डों की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था की गई है कि ऐसे किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जाएगा जो (क) सुरुचि या शिष्टाता को आहत करे, (ख) जिसमें कोई बात अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, असत्य और अभिव्यंजना पूर्ण ढंग से आक्षेप लगाने वाली और अर्ध सत्य हो, (ग) किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यक्तियों के किसी समूह, देश के सामाजिक, सार्वजनिक या नैतिक जीवन के किसी खण्ड की आलोचना, मानमर्दन या निंदा करने वाली बात हो, (घ) स्त्री को उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग के किसी तरीके से चित्रण के माध्यम से इस तरह से कलुषित किया गया हो कि उससे स्त्रियों के प्रति अशिष्ट या अपमानजनक प्रभाव उत्पन्न हो, या जिससे सार्वजनिक लोकाचार या लोकव्यवहार के क्षीण, भ्रष्ट या आहत होने की संभावना हो, (ङ) बच्चों की प्रतिष्ठा गिरती हो, (च) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो और (छ) बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो। जब कभी उक्त संहिताओं के किसी उल्लंघन की जानकारी मंत्रालय को प्राप्त होती है या उसके ध्यान में लाई जाती है तो चूककर्ता चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

मंत्रालय ने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों की जांच के लिए 2005 में एक अंतर्मंत्रालयीय समिति (आई.एम.सी.) का गठन किया है। आई.एम.सी. में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उपभोक्ता मामले मंत्रालयों के प्रतिनिधि और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई.) में उद्योग से

एक प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतर्मंत्रालयीय समिति समय-समय पर बैठकें करती है और उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करती है।

मंत्रालय ने चौबीस घण्टे आधार पर निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषयवस्तु की मॉनीटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र (ई.एम.एस.सी.) की भी स्थापना की है जो वर्तमान में 300 निजी टी.वी. चैनलों की मॉनीटरिंग करता है।

मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर सलाह-पत्र जारी करता है जो रियलिटी शोज़ के लिए भी आवश्यक होते हैं। ये मंत्रालय की वेबसाइट *www.mib.nic.in* पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षरण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने 'बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिंग के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए हैं जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा 23.11.2012 को सभी टी.वी. चैनलों/एन.बी.ए./आई.बी.एफ. को परिचालित किया गया है। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों को प्रसारकों/निर्माताओं द्वारा अपने कार्यक्रमों में भागीदारी बनाने की स्थिति में अनुपालन किए जाने हेतु प्रावधानों को निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त उद्योग द्वारा स्वाविनियमन के हिस्से के रूप में भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आई.बी.एफ.) जो गैर-समाचार एवं समसामयिकी टी.वी चैनलों की प्रतिनिधि निकाय है, ने टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए प्रसारण विषयवस्तु शिकायत परिषद (बी.सी.सी.सी.) का गठन किया है। बी.सी.सी.सी. ने भी अपने सदस्य चैनलों को रियलिटी शोज़ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सलाह-पत्र जारी किए हैं जो उनकी वेबसाइट-*www.ibfindia.com* पर उपलब्ध हैं।

Guidelines on Reality Shows

†*218. SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, now-a-days, reality shows are playing with the sentiments of public;

(b) whether it is also a fact that reality shows directly affect the working style of the middle class in the country;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether Government is issuing any guidelines regarding reality shows?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN SINGH RATHORE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) to (d) No such fact has been brought to the notice of the Government. However, the content carried on private satellite TV channels is regulated as per provisions of the Programme and Advertising Codes contained in the Cable Television Network Rules, 1994 and the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995. The said Rules provide for a whole range of parameters to regulate programme and advertisements on TV channels including the reality shows. The Programme Code *inter-alia* provides that no programme should be carried which (a) offends good taste or decency (b) contains anything obscene, defamatory, deliberate, false and suggestive innuendos and half truths (c) criticizes, maligns or slanders any individual in person or certain groups, segments of social, public and moral life of the country (d) denigrates women through the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals (e) denigrates children (f) is not suitable for unrestricted public exhibition (g) is unsuitable for children. Action is taken against defaulting channels whenever any violation of the said codes is noticed or brought to the notice of the Ministry.

Ministry has constituted an Inter Ministerial Committee (IMC) in 2005 to look into the violations of the Programme and Advertisement Codes. IMC has representatives from the Ministry of Home Affairs, Defence, External Affairs, Law, Women and Child Development, Health and Family Welfare, Consumer Affairs-and a representative from the industry in Advertising Standards Council of India (ASCI). IMC meets periodically and recommends action against violations.

Ministry has also set up a state-of-art Electronic Media Monitoring Centre (EMMC) to monitor the content telecast on Private satellite television channels on a 24x7 basis, which presently monitors 300 private TV channels.

Ministry issues advisories from time to time on various issues, which are also relevant to reality shows. These are available at Ministry's website www.mib.nic.in. In addition, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has formulated the 'Guidelines for Media Reporting on Children' which has been circulated by this Ministry among all TV channels/NBA/IBF on 23.11.2012. The guidelines *inter-alia* lay down provisions to be followed by broadcasters/producers in case child participants are taken in their shows.

Besides, as part of self-regulation by industry, Indian Broadcasting Foundation

(IBF), which is a representative body of non-news and current affairs TV channels, has set up Broadcasting Content Complaints Council (BCCC) to examine the complaints about television programmes. BCCC has also issued some Advisories on various issues related to reality shows to their member channels, which are available at their website *www.ibfindia.com.*

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न रियलिटी-शो से संबंधित है। इसमें छोटे-छोटे बच्चों को स्टार बनाने के लिए माता-पिता अपने खून-पसीने की कमाई के पैसे खर्च करते हैं, अपनी सरी कमाई लगा देते हैं और पैसा बरबाद करते हैं, जबकि उसमें लॉटरी सिस्टम होता है। जिनकी लॉटरी निकल आई, वे स्टार बन जाते हैं और जिनकी लॉटरी नहीं निकलती, वे हताश हो जाते हैं, तो मेरा प्रश्न इसी संबंध में है। जैसे "इस जंगल से मुझे बचाओ", यह विदेशी रियलिटी-शो की नकल और घालमेल है। लड़कियों को खुले में नहाना होता है, कैमरे लगे होते हैं....

श्री सभापति : प्रश्न पूछिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : दूसरा है, "Man vs wild", इस शो में एक लड़का कीड़े-मकोड़े खाता है और जान की बाज़ी लगाने वाली हरकत करता है, जिससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि प्रसार विषयवस्तु शिकायत परिषद्, जो बी.सी.सी.सी. का गठन हुआ है, इसमें अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुइ हैं और अब तक क्या कार्यवाही हुई है? साथ ही जो मैंने दो शोज़ बताए हैं, इनमें क्या कार्यवाही हुई है?

कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर : सर, समय-समय पर सरकार एडवाइज़रीज़ इश्यू करती है, खास तौर से माननीय सदस्य ने जब बच्चों के बारे में कहा, तो National Commission for Protection of Child Rights ने भी एक एडवाइज़री इश्यू की है। साथ ही सरकार प्रोग्राम कोड्ज़ और कंटेंट किस तरह से चलाना है, वह भी देती है। तो जितने भी कार्यक्रम टेलिविज़न पर आते हैं, ये उन्हीं कोड्ज़ के तहत ही आ सकते हैं। उसमें अगर कोई वॉयलेशन हो तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी है, जो कंप्लेंट आने पर शो-कॉज़ नोटिस देती है और सज़ा भी देती है। आपने जो सवाल किया था कि BCCC यानी Broadcasting Content Complaints Council में अभी तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और उन पर क्या एक्शन लिया गया है, तो एक साल का मैं बता सकता हूं कि एक साल में उनके पास तकरीबन 4000 कंप्लेंट्स आई थीं, जिसमें से 1500 कंप्लेंट्स पर उन्होंने एक्शन लिया है। अगर वे जानना चाहते हैं कि जब से उसका गठन हुआ है, तब से कितनी कंप्लेट्स आई हैं, तो उसका ब्यौरा मैं आपको बाद में दे सकता हूं।

श्री सभापति : दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे शोज़ में गलत मूल्यों जैसे द्विविवाह, हिंसा, अश्लीलता आदि के माध्यम से समाज में बच्चों

और आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव के आकलन की समीक्षा की है या करने पर विचार कर रही है?

कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर : सर, क्या moral है, क्या देखने लायक है, क्या देखने लायक नहीं है, यह हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर परिवार के लिए अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। सरकार एक ब्रॉड आउटलाइन देती है जिसमें decency है, morality है, उस सबको ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट कोड्ज़ दिए हुए हैं। उस कंटेंट कोड को अगर कोई वॉयलेट करे तो उस पर एक्शन लिया जाता है और मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आजकल अगर आप देखेंगे तो रियलिटी शोज़ में नीचे एक टेलिफोन नंबर भी आता है कि यदि जो कंटेंट आ रहा है, वह सही नहीं है तो इस नंबर पर फोन करके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है, (क) से (घ): ऐसे किसी तथ्य की जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है, लेकिन वहीं आप बता रहे हैं कि मंत्रालय में चौबीस घंटे के आधार पर निजी सेटेलाइट टेलिविजन चैलनों पर प्रसारित होने वाले विषयवस्तु का आपने एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार के ध्यान में नहीं है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि चौबीस घंटे मॉनिटरिंग सेंटर ध्यान देता है। अभी आप बोल रहे हैं कि नीचे नंबर लिखे हुए होते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि रियलिटी शो में जैसे माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया कि जिस तरह से बातें दिखाई जाती हैं...एक एग्ज़ाम्पल देती हूं कि कलर्स चैनल पर ''बिग बॉस'' आता है, उसमें डेली जो खराब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या उसकी तरफ आपका ध्यान है? आपका जो चौबीस घंटे का मॉनिटरिंग सेंटर है, वह क्या करता है? अगर नंबर देखकर ही सदस्यों को अपनी बात उसमें उठानी है, कहना है कि फलाने चैनल पर यह गंदगी दिखाई जा रही है, तो आपका चौबीस घंटे का मॉनिटरिंग सेंटर उसमें क्या कर रहा है?

कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर : सर, ई.एम.एम.सी. के नाम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है, जिसकी आपने चर्चा की। अभी देश के अंदर 839 चैनल्स हैं और ई.एम.एम.सी. इस समय 300 चैनल्स के एक साथ देख सकता है और उसको चौबीस घंटे लगातार देखा जाता है। Randomly चैनल्स सलेक्ट होते हैं। कुछ ही समय में 600 चैनल्स तक उसकी कैपेबिलिटी हो जाएगी और 2017 तक 1500 चैनल्स तक की उसकी कैपेबिलिटी होगी। सरकार कम्पलेंट का सिर्फ इंतज़ार नहीं करती है, वह कई बाई *suo motu* एक्शन भी लेती है। जब से - 2005 से लेकर अभी तक Inter Ministerial Committee का गठन हुआ है, तब से साढ़े चार सौ show-cause notices जा चुके हैं, जिनमें से 267 पर एक्शन लिया जा चुका है।

श्री रामदास अठावले : सभापति महोदय, बिग बॉस नामक रिएलिटी शो, जो हर साल लोनावला में होता है, एक बार मुझे भी वहां पर बुलाया था। मुझे पत्र लिखकर पहले उन्होंने मेरा नाम तय किया था, लेकिन बाद में मेरा नाम केंसिल कर दिया। वह एक बात है। मैं कहना चाहता हूं कि रिएलिटी शोज़ पर कुछ अंकुश लगाने की आवश्यता है। आपका जो मंत्रालय है, इस

मंत्रालय के द्वारा उनके ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। वहां पर जिनको लेकर जाते हैं, उसमें कुछ सोशल या पॉलिटिकल चर्चा भी होनी चाहिए और परिवर्तन करने के बारे में कुछ सोच होनी चाहिए।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामदास अठावले : वहां पर किसे सेलेक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर भी सरकार का प्रबंधन होना चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वहां पर अच्छे-अच्छे लोगों को ले जाना चाहिए, गलत लोगों को नहीं ले जाना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: You may like to take note of it.

कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर : सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना कह सकता हूं कि एक समय था, जब सरकार ने एक टास्क फोर्स बनायी थी, ताकि जो कंटेंट आ रहे है, इसके लिए एक regulatory body बनायी जाए। उस समय जितने broadcasters थे, उन्होंने इसे oppose किया। उन्होंने कहा कि हम self regulate करेंगे। उस self regulation के अंतर्गत, जिस कार्यक्रम का माननीय सदस्य ने नाम लिया, उसके अंदर काफी content है, जिसे वे regulate करते हैं और वह नहीं दिखाया जाता। मैं इसके उदाहरण दे सकता हूं। माननीय सदस्य को अलग से इसके उदाहरण दे दूंगा कि क्या content उन्होंने नहीं दिखाया और किस तरह से उन्होंने वह content दिखाया। वह एक तरह से self regulation का एक example है।

डा. कर्ण सिंह : सभापति महोदय, मैं ऐसे शोज़ देखता तो नहीं हूं, लेकिन कभी-कभी गलती से दिख जाता है। ये जो रिएलिटी शोज़ हैं, इनमें वास्तव में बड़ा अभद्र प्रदर्शन होता है। खास तौर पर छोटी-छोटी लड़कियों को वहां जिस प्रकार से नचाया जाता है, वह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। मैं नाच के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन छोटी-छोटी बेटियों को वहां नचाना, उनका कंपीटिशन करवाना और इस प्रकार से फिल्मों में उनको ले आने की कोशिश करना, यह अच्छा नहीं है। इसके बारे में मुझे लगता है कि Ministerial Committee जो हो, सो हो, लेकिन जो actual authority आपने बना रखी है, उसको सतर्क रहना चाहिए और विशेषकर बच्चों का दुरुपयोग न हो, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए।

COL. RAJYAVARDHAN SINGH RATHORE: Thank you so much, Sir, for this advice. Because there are a number of channels, there is undoubtedly a race to attract as many eyeballs as possible. Therefore, most of these channels, no doubt, are walking a very thin line and working in that grey area. However, there is a freedom of expression. Therefore, the Government does not want to impinge on the freedom of expression. Keeping in mind the morality, keeping in mind the decency, keeping in mind the various levels of acceptance on television, certain guidelines have been issued. What the Ministry can say is that Yes, we will issue advisories and we will also take into account any complaint that comes.